(ख) क्या सरकार के पास निजी क्षेत्र के एककों के कार्यकरण का अध्ययन करने हेतु एक विशेष दल नियुक्त करने का काई प्रस्ताव है;

(ग) किन-किन राज्य सरकारों से इस संबंध में समीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) ऐसी राज्य सरकारों के नाम क्या-क्या हैं, जिन्होने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री आर. कुमारमंगलम): (क) निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा स्थापित स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं की प्रतिफल दर समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार की 30 मार्च, 1992 की टैरिफ अधिसूचना द्वारा शामिल होती है। सरकार इन यूनिटों को हुए लाभ या हानियों की मानिटरिंग नहीं करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नई विद्युत परियोजनाएं

3935. **श्री ईशदत्त यादव**:

श्री नागमणि:

क्या विद्युत मंत्री 3 जून, 1998 को राज्य सभा में अतारंकित प्रश्न 825 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कुछ विद्युत परियोजनाओं के नवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अतिरिक्त सावधानी बरहती जा रही है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के विपरीत नवीं पंचवर्षीय योजनावधि संबंधी परियोजनाएं कार्य रुप में परिणत कर ली जाएं?

विद्युत मंत्री (श्री आर. कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) निधियों की कमी, परियोजना प्रबन्धन भूमि अधिग्रहण आदि प्राथमिक घटक है जिनका निवारण किया जाना नई क्षमताओं को चालू करने में तेजी लाने के लिए आवश्यक है। सरकार ने नौंवी योजना में परियोजनाओं का समय से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:—

(I) आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए पद्धतियों को सरल एवं कारगर बनाया गया है। के.वि.प्रा. ने दो चरण वाली स्वीकृति पद्धति आम्भ की है ताकि परियोजना प्रस्तावक अन्तिम अनुमोदन की प्रतीक्षा करते समय परियोजना का विकास आरम्भ करते समय परियोजना का विकास आम्भ कर सके।

(II) 1000 करोड़ रुपये से कम लागत वाली परियोजनाओं को, जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया माध्यम से स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, के.वि.प्रा. से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

(III) सरकार ने राज्यों में निर्माणधीन परियोजनाओं को चालू करने में शीघ्रता लाने के लिए पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से रियायती वित्तपोषण प्रदान कराने हेतु एक स्कीम आरम्भ की है।

(IV) कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने, महत्वपूर्ण कठिनाईयों को अभिज्ञात करने के लिए तथा अपचारात्मक उपायों का सुझाव प्रदान करने के लिए के.वि.प्रा. और विद्युत मंत्रालय के मानीटरिंग तंत्र को सरल एवं कारगर बना दिया गया है।

(V) विशाखापटनम टीपीएस, भद्रावती टीपीएस और नवेली परियोजना के लिए शीघ्र प्रति गारंटी प्रदान करने के लिए आरम्भिक कार्य शुरु किए गये हैं। ताकि इन परियोजनाओं का शीघ्र ही वित्तीय समापन प्राप्त किया जा सके।

(VI) विनियामक आयोगों के माध्यम से टैरिफ यौक्तिकरण करने संबंधी एक बिल पारित किया गया है। इससे राज्य/राज्य विद्युत बोर्ड आईपीपी के साथ अपनी वित्तीय विश्वसनीयता की स्थिति में सुदार ला सकें और विद्युत क्षेत्र में नये निवेश लाए जा सकें।

(VII) केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित की जानी वाली पियोजनाओं का पर्याप्त वित्तपोषण।

Construction of houses in Karnataka under I.A.Y.

3936. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

the number of houses constructed lataka under Indira Awas Yojana the year 1997 and so far in 1998;